रजिस्ट्री सं०डी०—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 27, 1986 (पौष 6, 1908)

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 27, 1986 (PAUSA 6, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गयी विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	799
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1449
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1969
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	27273
भाग III—खण्ड 2—पेटेण्ट कार्यालय द्वारा जारी की गयी पेटेण्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	815
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 1—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2549
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	177
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	799
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1449
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	-
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1969
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by general Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	27273
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	815
PART III—SECTION 3—Notification issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2549
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	177
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

* Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 1986

संकल्प

सं० 17(38) कॉम्प/84 (भाग)—कम्प्यूटर यंत्रेतर-सामग्री (सॉफ्टवेयर) के निर्यात, यंत्रेतर-सामग्री के विकास और प्रशिक्षण की नीति भारत सरकार द्वारा विचाराधीन थी। राष्ट्रपति जी ने निर्णय लिया है कि इसके प्रथम चरण के रूप में "कम्प्यूटर यंत्रेतर-सामग्री के निर्यात, यन्त्रेतर-सामग्री के विकास एवं प्रशिक्षण" पर निम्नलिखित नीति प्रभावी होगी :—

II. नीति के उद्देश्य

किसी भी नीति और उसके कार्यान्वयन का मुख्य आधार यंत्रेतर-सामग्री के स्थानीय विकास और उसके निर्यात दोनों का एकीकृत अवलोकन करना है।

निम्नलिखित मूल उद्देश्यों की पूर्ति करना इस नीति का मुख्य लक्ष्य है :—

1 अन्तर्राष्ट्रीय यंत्रेतर-सामग्री बाजार के एक बड़े भाग को हासिल करने और तीव्र गति से बढ़ाने के लिए यंत्रेतर-सामग्री का निर्यात संवर्धित करना।

2. स्वदेशी तथा निर्यात बाजारों के लिए देश में ही यंत्रेतर-सामग्री के समेकित विकास को संवर्धित करना।

3. वर्तमान प्रक्रियाओं को सरल बनाना ताकि यंत्रेतर-सामग्री उद्योग का त्वरित गति से विकास हो।

4. देश में यंत्रेतर-सामग्री उद्योग के लिए सुदृढ़ आधार स्थापित करना।

5. राष्ट्रीय स्तर पर कम्प्यूटर के क्षेत्र में दीर्घकालीन लाभों को यथोचित रूप में ध्यान में रखते हुए कार्य-कुशलता में वृद्धि और निर्णायक उपकरण के रूप में कम्प्यूटर और उनके उपयुक्त अनुप्रयोगों का संवर्धन करना।

III. यंत्रेतर-सामग्री के विकास और निर्यात के संवर्धन हेतु आयात नीति :

विशेषत: निर्यात के लिए कम्प्यूटर यंत्रेतर-सामग्री विकास का एक कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में वर्ष 1972 से यंत्रेतर-सामग्री की निर्यात योजना के अन्तर्गत चालू है। प्रचालन की दृष्टि से अधिक प्रभावी तथा सरल बनाने के लिए इस योजना में अब निम्नलिखित संशोधन किये गए हैं :—

1. निर्यातोन्मुख यंत्रेतर-सामग्री कंपनी स्थापित करने वाले और इस उद्देश्य के लिए कम्प्यूटर की यंत्र-सामग्री और/अथवा यंत्रेतर-सामग्री/कम्प्यूटर आधारित प्रणालियों के आयात की आवश्यकता अनुभव करने वाले संगठन के लिए इस प्रकार के आयात हेतु आवश्यक विदेशी-पूंजी की पूर्ति किसी भी अनुपात में निम्नलिखित विकल्पों के किसी भी संयोजन द्वारा की जाएगी

ए : भारत सरकार से

बी 1 : अप्रवासी भारतीयों की सहभागिता द्वारा

बी 2 : अधिक निर्यात के कारण विदेशी मुद्रा की पात्रता द्वारा

बी 3 : विदेशी सहभागिता द्वारा

बी 4 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुज्ञेय किसी भी अन्य स्रोत द्वारा

2. इस यंत्रेतर-सामग्री निर्यात योजना के अन्तर्गत आयात पर ए विकल्प के अन्तर्गत प्रयुक्त विदेशी मुद्रा के 250 प्रतिशत के बराबर + (धन) विकल्प बी 1 से बी 4 तक के विकल्पों के अन्तर्गत प्रयुक्त विदेशी मुद्रा के 150 प्रतिशत के बराबर यंत्रेतर-सामग्री के निर्यात की बाध्यता होगी, जिसे चार वर्ष की अवधि में पूरा किया जायेगा। स्वदेशी कम्प्यूटरों पर निर्यात के लिए विकसित की गई यंत्रेतर-सामग्री की निर्यात बाध्यता शून्य प्रतिशत होगी।

3. आयातित कम्प्यूटर प्रणाली का प्रयोग घरेलू तथा निर्यातगत गतिविधियों के लिए किसी भी अनुपात में हो सकता है।

4. निर्यात बाध्यताएं अर्जित की गई निवल विदेशी मुद्रा से पूरी की जाएंगी। इस उद्देश्य के लिए अर्जित निवल विदेशी मुद्रा का अर्थ है यंत्रेतर-सामग्री के निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा का आगमन — (ऋण) यंत्र-सामग्री तथा/या यंत्रेतर-सामग्री के आरम्भिक आयात से इतर व्यय के कारण विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन।

5. कम्प्यूटर यंत्रेतर-सामग्री निर्यात में चुम्बकीय माध्यम द्वारा या दस्तावेज़ी निर्यात के अतिरिक्त उपग्रह डाटा संपर्क द्वारा निर्यात और भारतीय कम्प्यूटर विशेषज्ञों द्वारा विदेशी ग्राहक के विदेश स्थित स्थान पर दिया गया परामर्श भी सम्मिलित होगा।

6. यंत्रेतर-सामग्री निर्यातकों को अपनी निर्यात बाध्यता यथाशीघ्र पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तथापि, चार वर्षों की अवधि में संचयी निर्यात के न्यूनतम स्तर निम्नलिखित के अनुसार होंगे :—

द्वितीय वर्ष के अन्त तक : निर्यात बाध्यता का 20 प्रतिशत

तृतीय वर्ष के अन्त तक : निर्यात बाध्यता का 50 प्रतिशत

चतुर्थ वर्ष के अन्त तक : निर्यात बाध्यता का 100 प्रतिशत।

7. प्रत्येक वर्ष, यदि कंपनी उपर्युक्तानुसार निर्यात प्रदर्शित नहीं करती है तो विभेदी बाध्यता की कम पड़ने वाली राशि का भुगतान अर्थ दण्ड के रूप में भारत सरकार को किया जाएगा।

8. निर्यात बाध्यता उस तिथि से आरंभ होगी जिस तिथि को आयात के प्रथम परेषण की कस्टम से अनुमति प्राप्त की जाती है।

9. पुरानी कम्प्यूटर प्रणालियों के आयात के मामले में निर्यात बाध्यता के निर्धारण के लिए नई कम्प्यूटर प्रणाली के बराबर के मूल्य पर विचार किया जायेगा।

10. पट्टे के आधार पर कम्प्यूटर प्रणाली के आयात के मामले में इस उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन को समकक्ष आयातित कम्प्यूटर के सी०आई०एफ० मूल्य के तौर पर लिया जायेगा, जैसा कि आई०एम०सी० द्वारा निर्यात-बाध्यता के मूल्यांकन के लिए निर्धारित किया जाता है।

11. विदेश स्थित कम्प्यूटर प्रणालियों, डॉटाबेसों तथा सेवाओं के प्रयोग के मामले में निर्यात बाध्यता की सीमा आई०एम०एम०सी० द्वारा हर मामले की स्थिति के अनुसार निश्चित की जायेगी।

12. उपर्युक्त योजना के अधीन आयात के मामलों में निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :—

1. आयात एन०एम०आई० की स्वीकृति से मुक्त होगा।

2. यंत्रेतर-सामग्री के निर्यात के लिए कम्प्यूटर प्रणालियों के आयात की अनुमति सामान्यतः एकमुश्त क्रय और वास्तविक प्रयोक्ता आधार पर दी जाएगी।

अथवा

यंत्रेतर-सामग्री की निर्यात परियोजनाओं के लिए पट्टे पर कंप्यूटर प्रणालियों के आयात की अनुमति भी दी जाएगी।

अथवा

यंत्रेतर-सामग्री की कंपनियों को अपनी यंत्रेतर-सामग्री की निर्यात परियोजनाओं के लिए उपग्रह डॉटा संपर्क द्वारा विदेश स्थित कम्प्यूटर प्रणाली, यंत्रेतर-सामग्री और डॉटाबेसों का प्रयोग करने/उपलब्ध करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

13. यंत्रेतर-सामग्री की निर्यात योजना के अधीन आयात अहस्तांतरणीय और वास्तविक आधार पर होगा।

14. यंत्रेतर-सामग्री की निर्यात योजना के अधीन आयात-सामग्री के लिए मूल्यानुसार 60 प्रतिशत सीमाशुल्क प्रभारित होगा। आयात-निर्यात बैंक द्वारा संवीक्षित प्रस्तावों के मामले में, जिनमें वित्तीय तथा तकनीकी विश्लेषण और निर्यात संबंधी प्रगति की बैंक द्वारा जांच की जाती है, सीमाशुल्क में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। शत-प्रतिशत निर्यात के लिए आयातित सभी कम्प्यूटर कस्टम सीमाओं के भीतर शून्य प्रतिशत शुल्क के पात्र होंगे।

15. भारतीय आयात-निर्यात बैंक यंत्रेतर-सामग्री के निर्यातकों को आयात-सामग्री के लिए विदेशी मुद्रा भी प्रदान करेगा। इस मामले में निर्यात बाध्यता इस्तेमाल की गई विदेशी मुद्रा की 350 प्रतिशत होगी और उसे उस तारीख से चार वर्ष की अवधि के अन्दर पूरा करना होगा, जिस तारीख को आयात के प्रथम परेषण की कस्टम द्वारा स्वीकृति दी गई थी। सरकारी स्वीकृति प्रक्रियाओं को अधिकतम सरल बनाया जाएगा और सामान्य तौर पर केवल आयात-निर्यात बैंक की संस्तुतियों के आधार पर अध्यक्ष, आई०एम०एम०सी० द्वारा स्वीकृति जारी की जाएगी। प्रत्येक वर्ष, यदि कंपनी उपर्युक्त अनुच्छेद III (6) के अनुसार निर्यात-कार्य प्रदर्शित नहीं करती तो अर्थ दण्ड के रूप में बाध्यता से कम पड़ने वाली रकम से दुगुनी राशि आयात-निर्यात बैंक को रुपयों में अदा की जाएगी। इस योजना के वास्तविक ब्यौरे आयात-निर्यात बैंक द्वारा अलग से अधिसूचित किये जाएंगे।

16. यदि यंत्रेतर-सामग्री का निर्यात समर्पित भू-केन्द्र/उपग्रह संपर्क केन्द्र के माध्यम से किया जाता है तो समर्पित भू-केन्द्र/उपग्रह संपर्क केन्द्र का उपयोग करने वाली कंपनी के निर्यात के उस भाग के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें लागू होंगी :—

(i) निर्यात बाध्यता का निर्धारण मामलेवार आई० एम०एम०सी० द्वारा किया जाएगा।

(ii) सुरक्षा और संचार प्रबंध आई०एम०एस०सी० की स्थायी उप-समिति, द्वारा निर्धारित किये जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, संचार विभाग, विदेश संचार निगम, गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय का सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व होगा।

(iii) उपग्रह संपर्क केन्द्रों का उपयोग केवल शत-प्रतिशत निर्यातगत गतिविधियों के लिए किया जाएगा। इससे संबंधित सभी आयात शुल्क-मुक्त होंगे।

(iv) निर्यात संबंधी घोषणा जी०आर० फार्म के बदले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित विशेष निर्यात घोषणा प्रपत्र पर की जाएगी।

(v) यदि राष्ट्रहित में आवश्यक हुआ तो भारत सरकार बिना कोई कारण बताए और बिना किसी दायित्व के समर्पित भू-केन्द्र/उपग्रह संपर्क केन्द्र का प्रयोग करने के लिए दिए गए अनुमोदनों/स्वीकृतियों को समाप्त कर सकती है।

17. यंत्रेतर-सामग्री निर्यातक अपनी विदेशी मुद्रा से अथवा 20 प्रतिशत निर्यात बाध्यता पूरी करने के पश्चात् मूल आयात के० सी०आई०एफ० मूल्य के 20 प्रतिशत तक आयातित कम्प्यूटर प्रणाली को संवर्धित कर सकता है। इस तरह की आयात सामग्री पर मूल आयातित प्रणाली की तरह निर्यात बाध्यता लागू होगी।

IV. यंत्रेतर-सामग्री के आयात के लिए नीति

1. यंत्रेतर-सामग्री का विकास श्रमसाध्य है। स्थानीय यंत्रेतर-सामग्री विकास में लागत विकसित देशों में उसके विकास में लागत से वास्तव में कई गुना कम आएगी। तथापि, विदेशों में जब मानक यंत्रेतर-सामग्री (सॉफ्टवेयर) पैकेज/मॉड्यूलों की बिक्री अत्यधिक तादाद में होती है तो उनका आयात उनके स्थानीय विकास से सस्ता पड़ेगा। इस दृष्टि से किसी भी श्रेणी की यंत्रेतर-सामग्री के लिए यंत्रेतर-सामग्री के मूल्य पर 60 प्रतिशत मूल्यानुसार के बराबर समान वित्तीय सरक्षण तथा माध्यम का मूल्य जिस पर यह आयातित की गई है, दोनों को जोड़कर यह मूल्य देना पर्याप्त होगा। खुले सामान्य लाइसेंस (ओ०जी० एल०) पर किसी भी यंत्रेतर-सामग्री का किसी भी माध्यम से और कितनी ही अनुज्ञप्त प्रतियों में आयात करने की अनुमति वास्तविक प्रयोक्ता अथवा किसी कम्प्यूटर विनिर्माता या भंडारण और बिक्री करने वाली किसी यंत्रेतर-सामग्री कंपनी को होगी। इसके लिए न तो एन०एम०आई०सी० और न ही इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के रियाती शुल्क के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी।

2. यदि रायल्टी के भुगतान के बिना प्रति/अनुलिपि के लिए यंत्रेतर-सामग्री के आयात की अनुमति प्रदान की जाती है तो इस एकमुश्त भुगतान पर 60 प्रतिशत यथा-मूल्य शुल्क लगेगा।

3. यदि यंत्रेतर-सामग्री के आयात की अनुमति विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या में अनुलिपियों के लिए दी जाती है तो आरम्भिक एकमुश्त भुगतान, यदि कोई हो, उसके अतिरिक्त इस अधिकतम संख्या पर देय रायल्टी पर 60 प्रतिशत यथामूल्य शुल्क अग्रिम-रूप में लगाया जायेगा।

4. चूंकि यंत्रेतर-सामग्री पर केवल प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम लागू होता है इसलिए इस पर प्रतिलिप्यार्थ अनुज्ञप्त प्रतिलिप्यधिकार वाली पुस्तकों पर लागू होने वाली रायल्टी प्रेषण संबंधी नियम और प्रक्रियाएं समान रूप से लागू होंगी।

5 आयातकर्ता के अपने उपयोग के लिए यंत्रेतर-सामग्री के आयात हेतु उद्योग मंत्रालय की प्रौद्योगिकी विकास निधि (टी०डी०एफ०) का उपयोग किया जा सकता है।

V. अधिक निर्यात का अधिकार

1. यंत्रेतर-सामग्री के निर्यातक नई कंप्यूटर प्रणालियों, यंत्रेतर-सामग्री व यंत्र-सामग्री की उप-प्रणालियों के आयात के लिए और/अथवा अपनी वर्तमान कम्प्यूटर प्रतिष्ठापना और कार्यालय उपकरण व कम्प्यूटर के अतिरिक्त पुर्जों में संवर्धन के लिए निर्यात बाध्यता से 30 प्रतिशत अधिक किए गए यंत्रेतर-सामग्री निर्यात अर्जन का उपयोग कर सकता है। इस आयात का उपदेश्य होगा यंत्रेतर-सामग्री का और अधिक निर्यात करना तथा इस पर वास्तविक प्रयोक्ता की शर्तें एवं आयात के सी०आई०एफ० मूल्य की 150 प्रतिशत निर्यात बाध्यता की शर्तें लागू होंगी।

2. अधिक निर्यात-लाभ का संचयन तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए दिनांक 1-4-1984 के बाद निर्यात की गई यंत्रेतर-सामग्री का ही आकलन किया जाएगा।

VI. विदेशी सहयोग और विदेशी निवेश

1. निर्यात और/अथवा घरेलू विपणनार्थ यंत्रेतर-सामग्री के विकास की गतिविधियों में विदेशी सहयोग और/या विदेशी निवेश की अनुमति एफ०ई०आर०ए० (फेरा) के उपबंधों के अनुसार होगी।

2. स्वदेशी बाजार के लिए यंत्रेतर-सामग्री के विकास की अनुमति पूर्णत. स्वामित्व वाली भारतीय कंपनियों तथा 40 प्रतिशत तक विदेशी साम्यांश वाली कंपनियों को दी जाएगी।

3. 40 प्रतिशत से अधिक की विदेशी साम्यांशवाली कंपनियों को केवल शत-प्रतिशत निर्यात परियोजनाओं की अनुमति प्रदान की जाएगी।

VII. विदेशों में विपणन

1. विदेशी बाजारों में विपणन, प्रशिक्षण, प्रतिष्ठापन, बिक्री बाद सेवाओं के लिए विदेशी फर्मों/वितरकों/खुरदा व्यापारियों को कमीशन का भुगतान करने की यंत्रेतर-सामग्री निर्यातकों को अनुमति होगी।

2. विदेशी बाजारों में भारतीय यंत्रेतर-सामग्री के उत्पादों और सेवाओं के प्रभावी प्रोत्साहन के लिए विदेशों में संयुक्त उद्यमों और/अथवा विपणन कंपनियों तथा कार्यालयों की स्थापना करने की अनुमति यंत्रेतर-सामग्री निर्यातकों को दी जाएगी।

3 विदेशी दौरों, विदेशी कार्यालयों की स्थापना, विदेशों में विशेषज्ञों की उपलब्धि, नक्शे/अभिकल्प प्राप्त करने, कमीशन-दरों के भुगतान आदि पर यंत्रेतर-सामग्री निर्यातकों को सामान्यतः एक उचित स्तर पर व्यय करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की मदों के व्यय के लिए एकक को पिछले वर्ष अर्जित निवल विदेशी मुद्रा की 30 प्रतिशत विदेशी मुद्रा का आवंटन अनुज्ञेय होगा, तथापि, प्रथम वर्ष के आवंटन का निर्धारण आई०एम०एस० सी० की संस्तुतियों पर आधारित होगा। विदेशी मुद्रा

के ये सभी आवंटन भारतीय रिज़र्व बैंक के सामूहिक परमिटों के रूप में होंगे ।

VIII. अनुसंधान तथा विकास

1. दीर्घकालीन अवधि के आधार पर विश्व-बाजारों में भारतवर्ष प्रतिस्पर्धा कर सके इसके लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के अग्रगामी आयामों में अनुसंधान, अभिकल्पन और विकास के गहन कार्यक्रम शुरू करेगा ।

2. आयात-विकल्प के रूप में विशिष्ट यंत्रेतर-सामग्री के उन पैकेजों का विकास करने के लिए उन्हें समक्ष लाया जायेगा जिनका कि अन्यथा आयात करना पड़ता है ।

3. अनुसंधान और विकास की नई परियोजनाओं को आरंभ करने तथा आयातित जानकारी को आत्मसात करने के लिए यंत्रेतर-सामग्री सदनों और विनिर्माताओं को अनुसंधान व विकास के नये दलों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । यंत्रेतर-सामग्री क्षेत्र की अनुसंधान व विकास परियोजनाओं को वही प्रोत्साहन प्राप्त होंगे जो औद्योगिक विकास व अनुसंधान परियोजनाओं को मिलते हैं ।

IX. उत्पाद शुल्क

कम्प्यूटर यंत्रेतर-सामग्री पहले की तरह उत्पाद-शुल्क से मुक्त रहेगी ।

X. नीति कार्यान्वयन के लिए औद्योगिक संरचना

दिनांक 19 नवम्बर, 1984 को घोषित कम्प्यूटर नीति (अनुच्छेद ग-2) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने एक यंत्रेतर-सामग्री विकास अभिकरण की स्थापना पहले ही कर दी है । इस नीति के कार्यान्वयन, यंत्रेतर-सामग्री के निर्यात-निष्पादन को मॉनीटर करने और घरेलू व निर्यात-बाज़ारों के लिए यंत्रेतर-सामग्री के उद्योग के एकीकृत विकास को संवर्धित करने से संबंधित गतिविधियो के अभिग्रहण हेतु यह अभिकरण समन्वय स्थापित करेगा ।

XI. वित्त-व्यवस्था

1. यंत्रेतर-सामग्री के विकास संबंधी व्यवसाय की मूल प्रकृति को समझने की आवश्यकता है जहां यंत्रेतर-सामग्री कंपनी की मूल संपत्ति मेधाशक्ति होती है । अतः, कम्प्यूटर व्यावसायियों के लिए जोखिम वित्तपोषण और जोखिम पूंजी उपलब्ध कराने हेतु बेहतर मानदण्ड तैयार करने वाली वित्तीय संस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिकी विभाग सहायता प्रदान करेगा ।

2. इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के द्वारा यंत्रेतर-सामग्री की विकास और निर्यात परियोजनाओं को अनुच्छेद-III-15 में उल्लिखित योजना के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करेगा ।

XII. प्रक्रिया

1. इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की अन्तर-मंत्रिमंडलीय स्थायी समिति (आई०एम०एस०सी०) यंत्रेतर-सामग्री के विकास तथा यंत्रेतर-सामग्री के निर्यात के सभी मामलों के सिंगल प्वाइंट क्लीयरेंस और समन्वय-कार्य के लिए एक प्रभावी संस्था के रूप में कार्य करेगी ।

2. यंत्रेतर-सामग्री निर्यात परियोजना के लिए उद्यमी, आयात-निर्यात प्रक्रिया 1985—88 की पुस्तिका के परिशिष्ट-III-सी में निर्धारित प्रपत्र पर इलैक्ट्रॉनिकी विभाग के सी०सी०आई० विंग को आवेदन देगा । प्रस्ताव पर आई० एम०एस०सी० द्वारा विचार किया जाएगा और छह सप्ताह के भीतर आवेदक को सीधे ही आई०एम०एस०सी० के द्वारा निर्णय की सूचना दे दी जायेगी । आयात-निर्यात बैंक योजना के अधीन मामलों मे संबंधित आवेदन-पत्र सीधे आयात-निर्यात बैंक को प्रस्तुत किये जायें ।

3. आयात लाइसेंस/कस्टम स्वीकृति परमिट के लिए सभी आवेदन सी०सी०आई० एण्ड ई० द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर सीधे इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के सी०सी०आई० विंग को भेजे जायेंगे । कम्प्यूटर/कम्प्यूटर आधारित प्रणालियों के आयात के लिए आयात लाइसेंस/कस्टम स्वीकृति परमिट जे०सी०सी०आई० एण्ड ई० द्वारा मुख्यालय से जारी किए जाएंगे जिसे आई०एम०एस०सी० की संस्तुतियों पर आयात लाइसेंस जारी करने की पूर्ण-शक्तियां प्रदान की जाएंगी । वे आई०एम०एस०सी० के सदस्य होंगे ।

4. विदेशी सहयोग और विदेशी निवेश से संबंधित मामले में आई०एम०एस०सी० जांच करके आवश्यक अनुमोदन के लिए मामले की सिफारिश करके सीधे एफ० आई०बी० के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी ।

5. यंत्रेतर-सामग्री निर्यातक प्रत्यक्ष करों के उन सभी लाभों के पात्र होंगे जो अन्य प्रकार के निर्यातों के मामलों में उपलब्ध हैं ।

6. संचार विभाग का एक अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि एम०एम०एस०सी० का सदस्य होगा । आई०एम०एस०सी० द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति से आवेदक प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन/टेलेक्स कनेक्शन और उपग्रह संपर्क व डॉटा संचार जिसमें मॉडेम कनेक्शन भी शामिल हैं, सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

7. इलेक्ट्रॉनिकी विभाग निर्यात के उद्देश्य से यंत्रेतर-सामग्री के विकास में लगे यंत्रेतर-सामग्री विकास संगठनों का पंजीकरण करेगा ।

8. निर्यात बाध्यता के लिए यंत्रेतर-सामग्री निर्यातक द्वारा भारत सरकार के साथ एक बैंध इकरारनामा/बंध-पत्र निष्पादित किया जाएगा ।

XIII. यंत्रेतर-सामग्री का कानूनी संरक्षण

भारत में यंत्रेतर-सामग्री को लिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1984 खंड 2(सी) के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त है ।

XIV. सामान्य

1. स्वदेशी बाजार या देश में ही उपयोग करने के उद्देश्य से संबंधित यंत्रेतर-सामग्री का विकास गतिविधियों के उन मामलों को लाइसेंसमुक्त रखा जाएगा जिनमें कम्प्यूटर प्रणाली को आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

2. देश में ही प्रयोग हेतु अथवा दानव्य संस्थाओं या सरकारी/सरकारी वित्तपोषित संगठनों या लाभनिरपेक्ष आर० एण्ड डी० संगठनों या लाभनिरपेक्ष शैक्षिक संस्थाओं या लाभनिरपेक्ष गैर-वाणिज्यिक संगठनों द्वारा यंत्रेतर-सामग्री का विकास परामर्श सेवाओं के रूप में माना जाएगा। यंत्रेतर-सामग्री के विकास की अन्य सभी गतिविधियां उद्योग के रूप में मानी जाएंगी। इस प्रयोजन हेतु वर्गीकरण के लिए किसी भी अतिरिक्त परिभाषा का निर्णय आई०एम० एस०सी० द्वारा किया जाएगा।

3. यंत्रेतर-सामग्री की निर्यात योजना के अन्तर्गत आयातित अथवा स्थानीय रूप से खरीदी गई कम्प्यूटर प्रणाली के मामले में 40 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास की अनुमति प्रदान की जाएगी।

4. यदि यंत्रेतर-सामग्री निर्यातक उन शर्तों का पालन नहीं करता, जिन पर उसे आयात की अनुमति दी गई थी, तो यथा-संशोधित आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 आयात-निर्यात नियंत्रण आदेशों तथा उससे संबंधित प्रावधानों के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।

5. यंत्रेतर-सामग्री की अपनी आवश्यकताओं के लिए निविदाएं/तहकीकातों को जारी करते समय यंत्रेतर-सामग्री के सभी प्रमुख प्रयोक्ता कंप्यूटर विनिर्माताओं के अतिरिक्त यंत्रेतर-सामग्री सदनों से भी संपर्क करेंगे।

6. यंत्रेतर सामग्री निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा प्रचलित दरों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार "नगद क्षतिपूर्ति सहायता (सी०सी०एस०)" के लिए अधिकृत होगी।

7. यंत्रेतर-सामग्री के निर्यात की प्रगति को सावधानी-पूर्वक मॉनीटर किया जाएगा। निर्यात के लिए सचिवों की आधिकारिक समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग यंत्रेतर-सामग्री के निर्यात के लिए प्राप्त आवेदनों और उन पर की गई कार्रवाई से संबंधित विस्तृत सूचनाएं प्रत्येक महीने मंत्रिमंडल सचिवालय और वाणिज्य मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा। यंत्रेतर-सामग्री के निर्यात की प्रमात्रा से संबंधित सूचना इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा तिमाही आधार पर भेजी जाएगी जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग सभी आवश्यक सूचनाएं प्रस्तुत करने के लिए निर्यातकों को निर्धारित कर सकता है। आयात-निर्यात बैंक से संबंधित सभी मामलों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा निर्यात की वास्तविक प्रमात्रा से संबंधित मॉनीटरिंग आयात-निर्यात बैंक द्वारा की जाएगी और वह इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा मंत्रिमंडल सचिवालय को तिमाही रिपोर्टें भेजेगा।

XV. प्रशिक्षण नीति

1. कम्प्यूटर यंत्रेतर-सामग्री और कार्मिकों की प्रशिक्षण नीति निम्नलिखित ढंग से होगी :

(अ) विभागीय संस्थाएं

शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से इलेक्ट्रॉनिकी विभाग देश के चार क्षेत्रों में से हरेक में भारतीय सूचना-विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई०आई०आई०टी०) और राज्य की राजधानियों में क्रमशः संबद्ध संस्थानों की एक श्रृंखला प्रतिष्ठापित करेगा। सुपर कम्प्यूटरों/मैनफ्रेम कम्प्यूटर/सुपर मिनी कम्प्यूटरों और मिनी/माइक्रो कम्प्यूटरों की यह श्रृंखला तथा राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र के विशेषज्ञ राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के भाग के रूप में निकनेट आधारभूत अवसंरचना कायम करेंगे जो कि आई०आई०आई०टी० केन्द्रों तथा उनके संबद्ध संस्थानों द्वारा प्रयुक्त की जायेगी। इन चारों आई०आई०आई०टी० केन्द्रों तथा संबद्ध संस्थानों की श्रृंखला को आई०आई०आई०टी० केन्द्रों की भांति राष्ट्रीय संस्थानों के बराबर दर्जा प्राप्त होगा। कंप्यूटर-आधारित अनुदेश, कम्प्यूटर नेटवर्क पर आधारित खुला विश्वविद्यालय प्रणाली, कम्प्यूटर आधारित अभिरुचि-मूल्यांकन व परीक्षण, मॉडुलर प्रशिक्षण प्रणालियां आदि जैसी आधुनिक संकल्पनाएं प्रशिक्षण में समाहित होंगी।

(ब) प्रायोजित परियोजनाएं

सार्वजनिक वित्तपोषित शैक्षिक संस्थाओं के अन्तर्गत कंम्प्यूटर शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रोत्साहित करने के लिए इलैक्ट्रॉनिकी विभाग के पास योजनागत कार्यक्रम हैं। इलैक्ट्रानिकी विभाग, एम० टेक०, एम०सी०ए०, कम्प्यूटर-विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम आदि जैसे कई पाठ्यक्रम भी प्रोयाजित करता है। नीति के तौर पर, योजनागत परियोजनाओं को उपलब्ध योजनागत आवटन, अगले पांच वर्षों में अनुमानित जनशक्ति के अंतराल के अनुरूप होगा।

(स) निजी क्षेत्र के शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान

निजी क्षेत्र के शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थानों को निम्न-लिखित प्रोत्साहनों और बाध्यताओं से सरकार द्वारा प्रोत्सा-हित किया जाएगा :—

(i) कम्प्यूटर आधारित अनुदेश के लिए अभिकल्पित कम्प्यूटर प्रणालियों, यंत्र-सामग्री और/या यंत्रेतर-सामग्री का आयात 60 प्रतिशत शुल्क पर स्वीकृत किया जायेगा।

(ii) कम्प्यूटर माध्यम में प्रोग्रामीकृत विषयों और ग्राफीय सामग्री की ओ०जी०एल० पर आयात अनुमति 60 प्रतिशत शुल्क पर स्वीकृत की जाएगी।

(iii) किसी भी निम्नलिखित प्रयोजन के लिए संस्थान द्वारा प्रति 100 मानव वर्षीय कम्प्यूटर संबंधी प्रशिक्षण के लिए 5000 अमेरिकी डॉलर तक

और प्रतिवर्ष अधिकतम 10,000 अमेरिकी डॉलर तक विदेशी पूंजी उपलब्ध करायी जाएगी :—

(अ) सामान्य सुरक्षा-स्वीकृति प्राप्त होने पर कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों के विदेशी विशेषज्ञों की मेजबानी ।

(ब) कंप्यूटर संबंधी क्षेत्रों में शिक्षा-प्रौद्योगिकी हेतु विदेशी परामर्श का क्रय ।

(स) स्वयं के प्रयोगार्थ ओ० जी० एल० पर प्रशिक्षण उपस्करों तथा शिक्षण सामग्री का आयात करना ।

ये आयात शुल्क-मुक्त होंगे और इनके लिए एन०एम० आई० प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा ।

(iv) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा प्रतिष्ठापित न्यस्त, विशेष निकाय द्वारा निर्धारित गुणवत्ता और सेवा के स्तरों को वास्तविक रूप में उत्तीर्ण करने वाले संस्थान को संस्थान द्वारा प्रशिक्षुओं को प्रदान किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों/डिप्लोमाओं में "इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त" शीर्षक का प्रयोग करने की अनुमति होगी ।

(v) उपर्युक्त (iv) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिकी विभाग से मान्यता प्राप्त संस्थान, दातव्य संगठनों/संस्थानों पर लागू आयकर नियमों के अनुसार आयकर कटौतियों के पात्र होंगे ।

बाध्यताएं

(i) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग अथवा समय-समय पर इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा नामित निकाय द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तर की उपस्कर अवसंरचना तथा पूर्णकालिक संकाय होना चाहिए ।

(ii) प्रशिक्षुओं को विभिन्न स्तरों पर इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कंप्यूटर पर न्यूनतम प्रयोगात्मक अनुभव प्रदान किया जाना चाहिए ।

(iii) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग विस्तृत संदर्शन-सिद्धांतों के रूप में विभिन्न पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण माड्यूलों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम जारी करेगा ।

(iv) संस्थान को इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की गुणवत्ता प्रमाणन संबंधी प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करने की अनुमति होगी । केवल वे संगठन ही उपर्युक्त (iv) और (v) प्रोत्साहनों का उपयोग करने के पात्र होंगे जो "प्रशिक्षण गुणवत्ता" मूल्यांकन में सफल होते हैं ।

(v) जहां आवश्यक होगा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग प्रश्न-पत्र बनाने और उनका मूल्यांकन और स्थानीय/राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं का आयोजन करेगा अथवा नामांकित संगठनों के माध्यम से आयोजित करने का प्रबंध करेगा ।

(vi) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मान दण्डों के अनुसार संस्थान के कंप्यूटर पाठ्य-क्रम/प्रशिक्षण में कम-से-कम 50 प्रतिशत पंजीयन योग्यता के आधार पर होगा । (इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विनिर्दिष्ट कोटा भी शामिल होगा) । इस तरह के उम्मीदवारों के मामले में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा निर्धारित "मानक पाठ्यक्रम संबंधी शुल्क" का लाभ संस्थान द्वारा लागू किया जाएगा ।

(XVI) परिभाषाओं के सभी निर्वचनों और नीति के प्रावधानों तथा विवादों के संकल्पों, यदि वे इनमें से उत्पन्न होते हैं, तो उनका निर्णय आई०एम०एम०सी० द्वारा किया जायेगा ।

(XVII) उन प्रावधानों को छोड़ कर, जिनके लिए आवश्यक अधिसूचना संबद्ध सरकारी विभागों द्वारा जारी की जानी है, यह नीति तत्काल प्रभावी होगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाये :—

1. राष्ट्रपति का सचिवालय ।
2. प्रधान मंत्री का कार्यालय ।
3. मंत्रिमण्डल सचिवालय ।
4. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक ।
6. सभी राज्य सरकारों व संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव ।
7. अध्यक्ष, उत्पादन और सीमाशुल्क का केन्द्रीय बोर्ड ।
8. आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक ।
9. तकनीकी विकास महानिदेशालय ।
10. भारतीय राजदूतावासों के विज्ञान परामर्शदाता ।
11. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिकी के राज्य मंत्री ।
12. अध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिकी आयोग ।
13. सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ।
14. इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के सभी संभाग/अनुभाग ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

न० शेषागिरि, अवर सचिव

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर 1986

संकल्प

सं० ई० 11015(1)/86-हिन्दी (.)—इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) के दिनांक 18 नवम्बर 1985 के संकल्प संख्या ई० 11015(1)/85-हिन्दी तथा दिनांक 2-1-86 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नलिखित संसद सदस्यों को इस्पात और खान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है :—

1 श्रीमति सूर्यकान्ता पाटिल (श्री पी० एल० खण्डेलवाल के स्थान पर)

2. श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर (श्री रामचन्द भारद्वाज के स्थान पर)

3. श्री वी० तुलसीराम (श्री बी० वी० देसाई के स्थान पर)।

(सदस्य, संसदीय राजभाषा समिति)

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रदेश के प्रशासकों, प्रधान मंत्री का कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

चिरंजीव सिंह, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF ELECTRONICS

New Delhi, the 18th December 1986

RESOLUTION

No. 17(38)/Comp/84(Part).—The Government of India have had under consideration, the question of reviewing the existing policy for Computer Software Export, Software Development and Training. As a first step in that direction, the President has been pleased to decide that the following POLICY ON COMPUTER SOFTWARE EXPORT, SOFTWARE DEVELOPMENT AND TRAINING shall come into effect :

II. OBJECTIVES OF THE POLICY

The main basis is that any policy framework and its implementation has to take an integrated view of both local development of software and software export.

The policy is broadly aimed at accomplishing the following basic objectives :

1. To promote software exports to take a quantum jump and capture sizeable share in international software market.

2. To promote the integrated development of software in the country for domestic as well as export markets.

3. To simplify the existing procedures to enable the software industry to grow at a faster pace.

4. To establish a strong base of software industry in the country.

5. To promote the use of computer as a tool for decision making and to increase work efficiency and to promote appropriate applications which are of development catalysing nature with due regard for long term benefit of computerisation to the country as a whole.

III. IMPORT POLICY FOR PROMOTING SOFTWARE DEVELOPMENT AND EXPORT :

A programme for promoting computer software development, particularly for export, is in operation in the Department of electronics since 1972 under the Software Export Scheme. This scheme is now modified for greater effectiveness and simplicity of operation as follows :

1. For an organisation setting up an export-oriented software company and requiring import of hardware and/or software of computer/computer-based system for the purpose, foreign exchange requirement for such import can be met through any combination of the following options in any proportion :

A : From the Government of India

B1 : Through Non Resident Indian participation

B2 : With FE entitlement as a result of excess exports

B3 : With foreign participation

B4 : Through any other source permitted by Reserve Bank of India.

2. The imports under this software export scheme will have software export obligation equal to 250% of FE used under option A PLUS 150% of FE used under options B1 to B4, to be fulfilled in a four-year period. The export obligation for software developed for export on indigenous computers would be zero percent.

3. The use of the imported computer system may be in any proportion of domestic and export activities.

4. Fulfilment of the export obligations will be met by the net foreign exchange earned. Net foreign exchange earned for this purpose is defined as foreign exchange inflows as a result of software exports less foreign exchange outflows on account of expenditure other than initial hardware and/or software import.

5. Computer software export will include besides physical export on magnetic media or on paper, also export through satellite data link and consultancy delivered at the location of foreign client abroad by Indian computer expertise.

6. Software exporters will be encouraged to fulfil their export obligation as fast as possible. However, minimum levels of cumulative export over the four years period will be :

By the end of 2nd year : 20% of export obligation.

By the end of 3rd year : 50% of export obligation.

By the end of 4th year : 100% of export obligation.

7. Each year, if the company does not show export performance as given above, the amount falling short of the differential obligation will be paid to the Government of India as penalty.

8. The export obligation will start from the date on which custom clearance for the first consignment of imports is obtained.

9. In case of import of old computer systems, the value of equivalent new computer system will be taken for determining the export obligation.

10. In case of import of computer system on lease basis, the foreign exchange outflow for this purpose will be taken as CIF value of an equivalent imported computer as determined by IMSC for determining the export obligation.

11. In case of use of computer systems, databases and services located abroad, the extent of export obligation will be decided by IMSC on a case to case basis.

12. The following conditions will apply to imports under the above scheme :

1. The import will be exempt from NMI clearance.

2. The import of computer systems for software exports would normally be permitted on outright purchase and actual user basis.

OR

The computer systems will also be permitted to be imported on lease basis for software export projects.

OR

Software companies will also be permitted to use/access computer system, software and databases located abroad via satellite data links for their software export projects.

13. The import under the software export scheme will be non-transferrable and on actual basis.

14. Customs duty of 60% of ad-valorem will be charged for the imports under software export scheme. In case of EXIM Bank scrutinised proposals, where bank is undertaking the financial and technical analysis as well as monitoring the progress of exports, a custom duty rebate of 50% would be provided. All computers imported for 100% export would be eligible for zero percent duty subject to custom bonding.

15. Indian EXIM Bank will also provide foreign exchange to software exporter for imports. The export obligation in this case will be 350% of FE used and will be fulfilled in a four-year period starting from the date on which the custom clearance for the first import consignment was made. The Government clearance procedures will be maximally simplified by clearance issued by Chairman, IMSC normally based only on EXIM Bank recommendation. Each year, if the company does not show export performance as shown in Para III (6) above, twice the amount falling short of the obligation will be paid to EXIM Bank in rupees as penalty. The exact details of this scheme will be notified by EXIM Bank separately.

16. When software export is made through a dedicated earth station/satellite links, the following additional terms and conditions will apply for that part of the export of the company which makes use of the dedicated earth station/satellite links :

(i) Export obligation will be determined by IMSC on a case to case basis.

(ii) Security and communication arrangements will be determined by a Standing Sub-Committee of IMSC with representatives of DOE, DOT, OCS, MHA and MOD as members.

(iii) Satellite links can be used only for 100% export activities. All imports connected with this will be exempted from duty.

(iv) Declaration of exports shall be made on a Special Export Declaration Form notified by RBI in lieu of the GR form

(v) The Government of India can terminate the approvals/clearances given for the use of the dedicated earth station/the satellite links without assigning any reason whatsoever and without any liability to Government if it is deemed necessary in the national interest.

17. Software exporters can augment an imported computer system by upto 20 percent of the CIF value of the original import either through their own FE or after completing 20 percent of the export obligation. Such imports will have further export obligation similar to the originally imported system.

IV. POLICY FOR SOFTWARE IMPORT

1. Software Development is labour intensive. Cost of local development of software would intrinsically be several times less than the cost of development of the same in developed countries. However, where standard software packages/modules are sold in very large numbers abroad their import will be cheaper than local development. In view of this, for any category of software, uniform fiscal protection of 60% ad-valorem on the price of the software plus the price of the media on which it is imported would be adequate. Any software in any media in any number of licensed copies will be permitted to be imported on OGL either by an actual user or by a computer manufacturer or by a software company on stock and sales. Neither NMIC nor DOE concessional duty certificate would be required.

2. If software is imported with permission to copy/duplicate without payment of royalty, the duty of 60% ad-valorem will be on this one time payment.

3. If software is imported with permission to copy/duplicate upto a specified maximum number of copies, the duty of 60% ad-valorem will be levied in advance on the royalty payable on this maximum number in addition to initial one time payment, if any.

4. As software is governed only by copyright act the royalty remittance rules and procedures will be identical to those applicable to licensed copying/duplicating of Copyrighted books.

5. Technology Development Fund (TDF) of Ministry of Industry can be used for Software Import for captive use.

V. EXCESS EXPORT ENTITLEMENT

1. 30% of excess software export earnings made over and above the export obligation can be made use of by the software exporter for importing new computer systems, software and hardware sub-system and/or augmenting his existing computer installation asd office equipment and computer spare parts. This import will be aimed at taking up further software exports and will be subject to actual user condition and export obligation of 150% of CIF value of import.

2. The excess export benefit provision can be accumulated for a period of three years. The software exports made after 1-4-1984 will only be taken into consideration for this purpose.

VI. FOREIGN COLLABORATION AND FOREIGN INVESTMENT

1. Foreign collaboration and/or foreign investment in software development activity for exports and/or domestic markets will be permitted as per provisions of FERA.

2. Software development for domestic market will be permitted to wholly owned Indian companies and companies having foreign equity upto 40%.

3. Companies with foreign equity exceeding 40% will be permitted only for 100% export projects.

VII. MARKETING ABROAD

1. Software exporters will be permitted to pay Commission to foreign firms/distributors/retailers for their services towards marketing, training, installation, after sales support in the foreign markets.

2. Software exporters will be permitted to establish joint ventures and/or marketing subsidiaries and offices abroad for effective promotion of Indian software products and services in foreign markets.

3. Software exporters generally need to incur reasonable level of expenditure on foreign tours, setting up of foreign offices, getting experts from abroad, obtaining drawing/designs, payment of commission rates, etc. For expenditure on such items a unit will be permitted an FE allocation of 30% of its net foreign exchange earnings in the previous year; however, the allocation for the first year will be decided based on the recommendations of IMSC. All these FE allocations would be in the nature of blanket permits by the RBI.

VIII. RESEARCH AND DEVELOPMENT

1. The Department of Electronics will launch extensive research, design and development programmes in Government, Public and Private sectors in frontier areas of computer technology to enable India to compete in the world markets on long term basis.

2. As import substitution, specific software packages will be identified for development, which otherwise would have to be imported.

3. Software houses and manufacturers will be encouraged to establish R&D groups to undertake new R&D projects and to absorb the imported knowhow. R&D projects in software area will be given the same incentives as available to industrial R&D.

IX. EXCISE DUTY

The computer software will continue to be exempted from excise duty as in the past.

X. INDUSTRIAL FRAMEWORK FOR POLICY IMPLEMENTATION

As provided for in the Computer Policy (Para C.2) of 19 November 1984, the Department of Electronics has already set up a Software Development Agency. This agency will coordinate the implementation of this policy, monitoring the performance of software exports, and taking up activities to promote the integrated growth of software industry for domestic as well as export markets.

XI. FINANCING

1. There is a need for understanding the very nature of software development business, where the main asset of the software company is brain power. Therefore, DOE will support financial institutions evolving dynamic norms for risk financing and for making available venture capital for computer professionals.

2. The Department of Electronics will support the financing of software development and export projects by nationalised banks and financial institutions on the pattern of the scheme outlined in Para III-15.

XII. PROCEDURES

1. The Inter-Ministerial Standing Committee ("MSC) of the Department of Electronics will function as an effective instrument for single point clearance and for coordination of action of all cases of software development and software export.

2. For software export project, the enterpreneur will apply to CCI-Wing of DOE in the form prescribed in appendix II-C of Handbook of Import and Export Procedures 1985—88. The proposal will be considered in IMSC and the decision will be conveyed directly by IMSC to the applicant within a period of six weeks. For cases under EXIM Bank Scheme applications should be directly submitted to the EXIM Bank.

3. All applications for import licence/custom clearance permit in format prescribed by CCI&E will be sent directly to CCI-Wing of DOE. The import licence/custom clearance permit for import of the computer/computer-based systems will be issued by JCCI&E at Headquarters who will be delesix weeks. For cases under EXIM Bank Scheme applications dations of IMSC. He will be a member of IMSC.

4. In the case involving foreign collaboration and foreign investment, IMSC will examine and recommend the case direct to Chairman, FIB, for necessary approval.

5. Software exports will be eligible to all direct tax benefits as available to the other types of exports.

6. An empowered representative of the Department of Telecommunications will be a member of IMSC. Clearance of the proposal by the IMSC will entitle the applicant to a telephone/telex connection and facilities for satellite link up and date communication including Modem connection on priority allocation.

7. DOE will register the software development organizations engaged in software development for export purposes.

8. A legal bond/undertaking will be executed by the software exporter with Government of India for export obligation.

XIII. LEGAL PROTECTION OF SOFTWARE

The software is protected in India under Copyright (Amendment) Act, 1984, Clause 2(c).

XIV. GENERAL

1. The software development activity aimed for domestic market or for inhouse use will be delicensed in cases where such activity does not require the computer system to be imported.

2. Software development for inhouse use or by Charitable institutions or by Government/fully Government financed organizations or by non-profit R&D organisations or by non-profit educational institutions or by non-profit non-commercial organisations will be treated as Consultancy Services. All other software development activities will be regarded as industry. Any additional definition for categorisation under this purpose will be decided by IMSC.

3. A depreciation rate of 40% will be allowed in case of computer system imported or locally purchased under the Software Export Scheme.

4. In case the software exporter fails to comply with the conditions subject to which the import is allowed, he will be liable to action under Imports and Exports (Control) Act, 1947, as amended, Imports-Exports Control Orders and other provisions connected therewith

5. All the major users of software, while floating tenders/enquiries will also contact software houses for their software requirements in addition to computer manufacturers

6. Foreign exchange earned on account of software export will be entitled to Cash Compensatory Support (CCS) as per prevailing rates and procedures.

7. Progress of software exports would be monitored closely. DOE will furnish every month detailed information on all the applications for software exports and the progress of action thereon to the Cabinet Secretariat and to the Ministry of Commerce for being placed before the Empowered Committee of Secretaries on Exports; Infomation in regard to volume of softwart exports will be furnished by DOE on a quarterly basis, for which DOE may stipulate to the exporters to furnish all necessary information. For all EXIM Bank cases, EXIM Bank will undertake the monitoring of implementation of the projects and the actual volume of exports and will send quarterly reports to DOE and the Cabinet Secretariat

XV. POLICY ON TRAINING

1. Policy on Training of computer Software and Services Personnel will be as follows :

(a) *Departmental Institutions*

The Department of Electronics in consultation with the Department of Education and UGC, will set up a chain of four Indian Institutes of Informatics Technology (IIITs) in each of the four regions of the country and respectively affiliated institutes in each of the State capitals. The chain of super computers/mainframe computer/super mini computers and mini/micro computers and the specialist personnel of the National Informatics Centre as part of its nation-wide network. NICNET, would form the basic infrastructure which will be utilised by IIITs and their affiliated institutes. The chain of these four IIITs and the affiliated institutes will have the status equivalent to National Institutes like IITs and would be run and managed on similar pattern. The training will be a long modern concepts like computer-aided instruction, computer network-based open university system, computer aided aptitude evaluation and testing, modular training systems, etc.

(b) *Sponsored Projects*

The Department of Electronics has Plan Programmes for promoting centres for computer education and training within publicly funded educational institutions. DOE also sponsors the running of courses like M.Tech., M.C.A. Post-Graduate Diploma in Computer Science, Teachers Training Courses, etc. As a policy, the Plan allocation made available to the Plan projects will commensurate with the gap in manpower estimated over the following five years.

(c) *Private sector education and training institutions*

Private sector education and training institutions will be encouraged by the Government with the following set of incentives provided they comply with the obligations listed hereunder :

Incentives

(i) Computer systems, harware and/or software designed for computer aided instruction will be allowed for import at a duty of 60 percent.

(ii) Programmed texts and graphic material in computer media will be allowed for import on OGL at a duty of 60 percent.

(iii) Foreign exchange to the extent of US $ 5,000 per 100 man-years of computer related training by the Institution subject to a maximum of US $ 10,000 per annum will be made available for any of the following purposes.

(a) Hosting foreign experts in computer related areas from abroad subject to normal security clearances.

(b) Buying of consultancy from abroad in Education Technology in computer related areas.

(c) Importing training equipment and Educational aids on OGL for captive use. These imports are duty free and without production of NMI Certificate.

(iv) The institutions who pass the actual quality and service standards stipulated by a special body set up/entrusted by the Department of Electronics, would be permitted to use the title, "Recognised by the Department of Electronics" in the certificates/diplomas awarded to the trainees by the institution.

(v) Institutions recognised by Department of Electronics under (iv) above, will be eligible for Income Tax deductions as per IT Rules applicable to Charitable organizations/institutions.

Obligations :

(i) The institution shall have a minimum level of infrastructure of equipment and full-time faculty as prescribed by DOE or DOE designated body from time to time.

(ii) The trainees at different levels will be given a specified minimum hands-on experience on computers as laid down by DOE from time to time.

(iii) DOE will issue prescribed syllabi for various courses/training modules from time to time, as broad guidelines.

(iv) The institution shall allow quality certification procedures of DOE to be carried out. Only the organisations passing the "quality of training" evaluation, will be eligible for utilising incentive (iv) and (v) above.

(v) Where necessary, DOE will conduct or arrange to conduct through designated organizations, local/national level examinations with paper setting and evaluation.

(vi) Atleast 50 percent of the enrolment in the computer courses/training of the institution will be on the basis of merit (including a specified quota for Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates) as per norms prescribed by the Government from time to time. For such candidates, the benefit of standard course fees stipulated by DOE will be made applicable by the institution.

XVI. All interpretations of the definitions and provisions of this policy and resolutions of disputes, if any, arising therefrom, will be decided by the IMSC.

XVII. This policy comes into force with immediate effect except for those provisions where necessary notifications need to be issued by the concerned Government Departments.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to :

1. The President's Secretariat
2. The Prime Minister's Office
3. Cabinet Secretariat
4. All Ministries/Departments of the Government of India.
5. Comptroller & Auditor General of India.
6. Chief Secretaries of all State Governments including Union Territories.
7. Chairman, Central Board of Excise & Customs
8. Chief Controller of Imports & Exports.
9. Directorate General of Technical Development.
10. Science Counsellors in Indian Embassies
11. Minister of State for Science & Technology and Electronics.
12. Chairman, Electronics Commission.
13. Secretary, Department of Electronics.
14. All Divisions/Sections of DOE.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. SESHAGIRI, Additional Secy.

MINISTY OF STEEL & MINES

(DEPARTMENT OF STEEL)

New Delhi the 28th November 1986

RESOLUTION

No. E.11015(1)/86-Hindi( ).—In partial modification of Minstry of Steel & Mines (Department of Steel) Resolution No. E-11015(1)85-Hindi dated 18th November, 1985 and of even number dated the 2nd January 1986, the following Members of Parliament are nominated as members of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Steel & Mines :—

1. Smt. Suryakanta Patil (vice Shri P. L. Khandelwal).
2. Shri Surendra Singh Thakur (vice Shri Ram Chandra Bharadwaj).
3. Shri V. Tulsiram (Member, Parliamentary Committee of Official Language) (vice Shri B. V. Desai).

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

CHIRANJIV SINGH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, CIVIL LINES, DELHI, 1986